

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार गडरारोड जिला बलरामपुर

राजस्थान प्रकरण संख्या 32/19 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्थान अधिनियम 1956 के तहत

सायल
राजस्थान सरकार जरिये
पटवारी हल्का गिराठ
बनाम श्री लखविए महेश राम
जाति राजपूत कुण्डिया
तहसील गडरारोड जिला बलरामपुर

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड में पेश हुई गैरसायल को पत्रावली का हमने अवलोकन किया राक्षित में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराठ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम कुण्डिया के राजकीय भूमि 741/468 रकबा 1895-6 बीघा में से 10 बीघा किरम जै.सु.जोरा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल को विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जारिय नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किए जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षरे पच्चाठ रूपसे मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसुल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराठ को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त भूमि का कब्जा को तत्काल कब्जा वहक सरकार प्राप्त फसल निलामी फंड वास्ते अनुमोदना के एवम स्वीकृति योग्य में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को नोटिस देकर वेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में पेश करें। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 15.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

(सह)
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 5% फसल नि. 400
कुल योग 4500/- जि.के पृष्ठ सं. 33
दिनांक 15.10.19 में इन्द्राज किया गया।